

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 221/2023 / सरफैरी

बैंक ऑफ इण्डिया पंजीकृत कार्यालय सी-5, जी ब्लॉक बी.के.सी. बांद्रा कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र-400051 एवं जिसका एक रिजनल ऑफिस जशोदा टावर, अखालिया चौराहा, चौपासानी रोड जोधपुर राजस्थान-342004 में स्थित है। शाखा कार्यालय उदयपुर राजस्थान में स्थित व कार्यरत है।

बनाम

.....प्रार्थी

1. श्री बाल किशन रावल पुत्र श्री छवि लाल रावल (कानूनी उत्तराधिकारी -मृत उधारकर्ता का पति -स्व. श्री मती सरोज देवी रावल)
पता: -प्लॉट संख्या 108, महादेव नगर, खसरा संख्या 1338 से 1340, 1342 मी. 1343 मी. 1344, 1345, 2004/1338 मी. 2090/1341, दक्षिण विस्तार, राजस्व गांव-सवीना, तहसील-गिर्वा, जिला उदयपुर राजस्थान 313001
2. श्री हिमांशु रावल पुत्र श्री बाल किशन रावल पुत्र श्री छवि लाल रावल (कानूनी उत्तराधिकारी -मृत उधारकर्ता का पति -स्व. श्री मती सरोज देवी रावल)
पता: -प्लॉट संख्या 108, महादेव नगर, खसरा संख्या 1338 से 1340, 1342 मी. 1343 मी. 1344, 1345, 2004/1338 मी. 2090/1341, दक्षिण विस्तार, राजस्व गांव-सवीना, तहसील-गिर्वा, जिला उदयपुर राजस्थान 313001

.....ऋणी / अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री अभिषेक जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक..... 06-11-2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 15,00,000 /- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (स्व. श्रीमती सरोज देवी रावल पत्नी श्री बाल किशन रावल की आवासीय सम्पति जो कि प्लॉट संख्या 108, महादेव नगर, खसरा संख्या 1338 से 1340, 1342 मी. 1343 मी. 1344, 1345, 2004/1338 मी. 2090/1341, दक्षिण विस्तार, राजस्व गांव-सवीना, तहसील-गिर्वा, जिला उदयपुर राजस्थान 313001 पर स्थित है। जो कि पंजीयन के अन्तर्गत जिला उदयपुर में है। जिसकी माप लगभग 450 वर्ग फिट है। चतुः सीमाएं उत्तर में-प्लॉट नं. 109, दक्षिण में-प्लॉट नं. 107, पूर्व में- प्लॉट नं. 123, पश्चिम में-30 फीट रोड) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में

M
जिला कलक्टर
उदयपुर

रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 21.02.2023 तक 15,25,055.14/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 15,00,000 /-रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 21.02.2023 तक 15,25,055.14/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (स्व. श्रीमती सरोज देवी रावल पत्नी श्री बाल किशन रावल की आवासीय सम्पत्ति जो कि प्लॉट संख्या 108, महादेव नगर, खसरा संख्या 1338 से 1340, 1342 मी. 1343 मी. 1344, 1345, 2004/1338 मी. 2090/1341, दक्षिण विस्तार, राजस्व गांव-सवीना, तहसील-गिर्वा, जिला उदयपुर राजस्थान 313001 पर स्थित है। जो कि पंजीयन के अन्तर्गत जिला उदयपुर में है। जिसकी माप लगभग 450 वर्ग फिट है। चतुः सीमाएं उत्तर में-प्लॉट नं. 109, दक्षिण में-प्लॉट नं. 107, पूर्व में- प्लॉट नं. 123, पश्चिम में-30 फीट रोड) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर